



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 580 राँची, शुक्रवार 16 कार्तिक 1936 (श०)
7 नवम्बर, 2014 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

24 अक्टूबर, 2014

विषय: राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं/संवर्गों आदि में एक पद से दूसरे पद पर प्रोन्नति के लिए निर्धारित कालावधि संबंधी कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-3286 दिनांक-4 अप्रैल, 2014 में संशोधन।

संख्या-15/नीति नि०-07-02/2014 का.-10483--कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प, संख्या-3286 दिनांक-4 अप्रैल, 2014 द्वारा भारत सरकार के अनुरूप राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं/संवर्गों आदि में एक पद से दूसरे पद पर प्रोन्नति हेतु ग्रेड पे आधारित कालावधि का निर्धारण किया गया है।

2. उक्त संकल्प की कंडिका-2 को निम्नवत् रूप से संशोधित करने का निर्णय लिया गया है:-

(i) संकल्प संख्या-3286 दिनांक-4 अप्रैल, 2014 की कंडिका-2(ii) के पश्चात् एक नयी उपकंडिका-2(iii) जोड़ने का निर्णय निम्नरूपेण लिया गया है:-

“उपर्युक्त प्रावधान के पश्चात् भी पद रिक्त रहने की स्थिति में सरकारी सेवा में 20 वर्षों की सेवा पूर्ण करने तथा धारित पद पर 01 वर्ष की सेवा व्यतीत करने वाले पदाधिकारियों की उच्च रिक्त पदों पर प्रोन्नति कालावधि के कारण बाधित नहीं होगी। ऐसी परिस्थिति में पदाधिकारियों को रिक्त उच्चतर पद पर प्रोन्नति दी जा सकेगी।”

(ii) संकल्प संख्या-3286 दिनांक-4 अप्रैल, 2014 की कंडिका-2(iii) को कंडिका-2(iv) के रूप में निम्नवत् रूप से परिवर्द्धन के साथ अन्तःस्थापित करने का निर्णय लिया गया है:-

“उपर्युक्त कंडिका-2(i) 2(ii) एवं 2(iii) में अंकित छूट उन मामलों में देय नहीं होगी जहाँ प्रोन्नति में विलम्ब के लिए संबंधित पदाधिकारी ही दोषी हों अथवा प्रोन्नति नहीं मिलने का मुख्य कारण विभागीय कार्यवाही या फौजदारी मुकदमों का विलम्ब रहना हो।”

संकल्प संख्या-3286 दिनांक-4 अप्रैल, 2014 के शेष अंश यथावत रहेंगे।

3. यह व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एस० के० शतपथी,

सरकार के प्रधान सचिव।
